न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –62/2022(2022/105)

अनवान : –

1. नारायण दास पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी वीरसिंह पुत्री मोमन जाति छिंपा उर्फ छिंपी निवासी रावलवास त. व जिला हिसार। वादी

बनाम

1. प्रमेश्वरी पत्नी वीरसिंह पुत्री मोमन जाति छिंपा उर्फ छिंपीनिवासी गांधीबड़ी हाल निवासी रावलवास त. व जिला हिसार।
2. प्रतापसिंह पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी वीरसिंह पुत्रीजाति छिंपा उर्फ छिंपीनिवासी गांधीबड़ी हाल निवासी रावलवास त. व जिला हिसार।
3. अनिल कुमार पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी वीरसिंह पुत्री जाति छिंपा उर्फ छिंपीनिवासी गांधीबड़ी हाल निवासी रावलवास त. व जिला हिसार।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री महेश कुमार वादी
श्री योगेश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 12/04/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर पटवार हल्का गांधीबड़ी के खाता सं. 52/53 मु.न. 61 के किला न. 11, 16 ता 25, मु.न. 62 के किला नं. 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु.न. 73 के किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु.न. 74 के किला न. 1 ता 15, 17 ता 24 की कुल किता 50 की 10.6260 हैक्टर, जिसमे नहरी 10.426 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता दर्ज है, जिसमें प्रतिवादिया सं. 01 प्रमेश्वरी के नाम 5/42 हिस्सा यानि 1.2650 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 6 एसडीआर के खाता सं. 152/137 के मु.न. 81 के किला नं. 12 ता 15, 17 ता 19 कुल किता 7 की 1.7710 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी का 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त आराजी वादी के नाना मोमन की हुआ करती थी जो उसकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादिया सां. 1 नाम दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादिया सं. 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं. 2 व 4 का जन्म से हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी के नाम से चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 198/67 के मु.न. 32 के किला नं. 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु.न. 33 के किला न. 10, 11, 20, 21 कुल किता 15 की 3.7950 हैक्टर नहरी शामिल खाते की कृषि भूमि दर्ज है जिसमें प्रतिवादिया सं. 1 का 37/3795 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं प्रतिवादिया सं.1 के नाम हरियाणाा के गांव रावलवास कलां के खाता सं. 405/536 की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए प्रतवादिया सं. 1 ने वाद ग्रस्त आराजी चक न. 6 एसडीआर व 8 एसडीआर में अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर अपना हक व हिस्सा शुन्य कर लिया है। प्रतिवादिया सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 व 3की जायज जरूरत हेतु चक 8 एसडीआर में से अच्छे किस्म की 1 किला कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 व 3 की सहमती से किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी थी तथा उसकी कीमत प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 को अदा कर दी थी। वाद भूमि को वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 3 काश्त करते चले आ रहे है।

वादभूमि तन्हा प्रतिवादिया सं. 01 प्रमेश्वरी के नाम दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की हक तल्फी होती है। इसलिए वादी यह घोषणा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है कि वादग्रस्त आराज़ी चक 8 एसडीआर में प्रतिवादिया सं. 1 के नाम 5/42 हिस्सा यानि 1.2650 हैक्टर में से वादी का 0.5903 हैक्टर व प्रतिवादी स. 2 व 3 प्रत्येक का 0.3373 हैक्टर एवं 6 एसडीआर में दर्ज प्रतिवादिया सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादिया सं. 01 को अपने पिता मोमन से विरासतन प्राप्त हुई है। जो भूप्रबंधन विभाग चक 8 एसडीआर सम्वत 2029–38 व भूप्रबंधन विभाग चक 6 एसडीआर सम्वत 2029–38 से साफ रोशन है, इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 01 वादी की माता है, जिन्होंने चक 8 एसडीआर व 6 एसडीआर में से अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में हिस्सा तर्क कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है। जो राजीनामा में स्वीकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में नारायण दास पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी वीरसिंह पुत्री मोमन जाति छिंपा उर्फ छिंपी निवासी रावलवास त. व जिला हिसार के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर बयान व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 8 एसडीआर पटवार हल्का गांधीबड़ी के खाता सं. 52/53 मु.न. 61 के किला न. 11, 16 ता 25, मु.न. 62 के किला नं. 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु.न. 73 के किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु.न. 74 के किला न. 1 ता 15, 17 ता 24 की कुल किता 50 की 10.6260 हैक्टर, जिसमे नहरी 10.4260 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता दर्ज है, जिसमें प्रतिवादिया सं. 01 प्रमेश्वरी के नाम 5/42 हिस्सा यानि 1.2650 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 6 एसडीआर के खाता सं. 152/137 के मु.न. 81 के किला नं. 12 ता 15, 17 ता 19 कुल किता 7 की 1.7710 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी का 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें चक 8 एसडीआर में प्रतिवादिया सं. 1 के नाम 5/42 हिस्सा यानि 1.2650 हैक्टर में से वादी का 0.5903 हैक्टर व प्रतिवादी स. 2 व 3 प्रत्येक का 0.3373 हैक्टर एवं 6 एसडीआर में दर्ज प्रतिवादिया सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादियां सं. 01 ने अपना हक वादी एवं प्रतिवादी सं. 02 व 03 के हिस्से में त्याग कर शून्य कर लिया, जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर पटवार हल्का गांधीबड़ी के खाता सं. 52/53 मु. न. 61 के किला न. 11, 16 ता 25, मु.न. 62 के किला नं. 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु.न. 73 के किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु.न. 74 के किला न. 1 ता 15, 17 ता 24 की कुल किता 50 की 10.6260 हैक्टर, जिसमे नहरी 10.4260 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता दर्ज है, जिसमें प्रतिवादिया सं. 01 प्रमेश्वरी के नाम 5/42 हिस्सा यानि 1.2650 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 6 एसडीआर के खाता सं. 152/137 के मु.न. 81 के किला नं. 12 ता 15, 17 ता 19 कुल किता 7 की 1.7710 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी का 1/2 हिस्सा यानि 0.8855 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें चक 8

सहायक कलेक्टर (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

एसडीआर में प्रतिवादिया सं. 1 के नाम 5/42 हिस्सा यानि 1.2650 हैक्टर में से प्रतिवादिया सं. 01 प्रमेश्वरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 0.5903 हैक्टर व प्रतिवादी स. 2 व 3 प्रत्येक का 0.3373 हैक्टर एवं 6 एसडीआर में दर्ज प्रतिवादिया सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं. 01 प्रमेश्वरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार **खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा** प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी के नाम से चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 198/67 के मु.न. 32 के किला नं. 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु.न. 33 के किला न. 10, 11, 20, 21 कुल किता 15 की 3.7950 हैक्टर नहरी शामिल खाते की कृषि भूमि दर्ज है जिसमें प्रतिवादिया सं. 1 का 37/3795 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज को यथावत प्रतिवादिया सं. 1 प्रमेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/04/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़